न्यायालय मे श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

रा0प्र0क्र0 /   /अ–3/निग0/2012–2013

1.श्रीमती जनकदुलारी धर्मपत्नी स्व0 मनोज तिवारी

2.श्रीमती राजकुमारी धर्मपत्नी स्व0 पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय

दोनो निवासी ग्राम चन्देला पो0 कुबरा थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म0प्र0

.......**निगरानीकर्तागण/आवेदिकागण**

बनाम्

1.ओमप्रकाश पिता रामसजीवन ब्रा0

2.लिल्ला पिता गोकुल कहार

3.जंब्बा कहार पिता गोकुल कहार

4.प्रेमवती धर्मपत्नी रामसजीवन पाण्डेय

5.अर्जुन पिता भूला अहिरवार

6.राममित्र पिता इन्द्रपाल सिंह

सभी निवासी ग्राम चन्देला पो0 कुबरा थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म0प्र0

....................**गैरनिगराकारगण/अनावेदकगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50
म0प्र0 भू रा0 सं0 1959
निगरानी निर्णय विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तह0 जयसिंहनगर जि0 शहडोल म0प्र0 के रा0प्र0क्र0/07/अ–3/2012–2013 निर्णय दिनांक 15.12.2012 से व्यथित होकर

मान्यवर,

निगरानी पेश कर विनय है कि–

1. यह कि मामले का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चन्देला, प0ह0 चन्देला, रा0नि0मं0 जयसिंहनगर तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म0प्र0 स्थित भूमि नंबर 359/1 रकबा 4.504हे0 भूमि म0प्र0शासन राजस्व विभाग के नाम, भूमि नंबर 359/2 रकबा 0.405हे0 भूमि अना0 क0–5 के नाम, भूमि नंबर 359/3 रकबा 0.405हे0 भूमि अना0क0–1 व 4 के नाम संयुक्त, 359/4 रकबा 0.405हे0 अना0क0–2 के नाम, 359/5 रकबा 0.405हे0 मनोज कहार के नाम तथा 359/6 रकबा 0.809हे0 भूमि अना0क0–6 के भूमि स्वामी के रूप में राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। तथा गैरनिगराकार गणो के पक्ष मे वर्ष 1985 से 1990 के मध्य उक्त जंगल किस्म की भूमि का व्यवस्थापन पट्टा बना। भूमि व्यवस्थापन के दौरान स्वीकृत ''नक्शा प्लाट'' के आधार पर गैरनिगराकारगणो व्दारा नक्शा मे इत्तलाबी नही कराया गया।

2. यह कि निगरानीकर्ता क0–1 के ससुर विष्णुदत्त त्रिपाठी के नाम उक्त ग्राम मे भूमि नंबर 943/2 रकबा 0.68ए0 पैतक भमि के भमि स्वामी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—585—तीन/2013 जिला—शहडोल

श्रीमती जनकदुलारी व अन्य विरूद्ध ओमप्रकाश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12—02—2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 1, 5 व 6 की ओर से श्री आई.पी. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह तहसीलदार, तहसील जयसिंहनगर, जिला—शहडोल के प्रकरण क्रमांक 07/अ—03/2012—2013 में पारित आदेश दिनांक 15—12—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला—शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 12/2/2019 सदस्य	